न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 06/2020
निर्णय दिनांकः— 11.01.2021

उनवान

. कजोडी पत्नी जगदीशलाल जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
—प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) — प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्राथीर्या द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीयां के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 163 ख0न0 1085 रकबा 4.69 ,ख0न0 1085/1161 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.40 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीया ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र तत्कालीन खातेदार से खरीद की थी। रजिस्टर्ड विकय पत्र में प्रार्थीया के गांव का नाम विजयगढ़ पोस्ट रानीपुरा तहसील उनियारा अंकित करवाया गया था,परन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थीया का गांव गलती से विजयनगर अंकित कर दिया है, जबकि विजयगढ अंकित किया जाना आवश्यक था। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीयां का गांव गलती से विजयगढ के स्थान पर विजयनगर दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीयां को काफी परेशानियां उठानी पड रही है। जबकि उक्त आराजी के अतिरिक्त प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी खाता संख्या 171 ग्राम विजयगढ मे है जिसमे प्रार्थीया का गांव विजयगढ ही अंकित है।

यह कि प्राथीर्या की अधियाचना है कि प्रार्थीयां के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 163 ख0न0 1085 रकबा 4.69 ,ख0न0 1085/1161 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.40 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील उनियारा म जिला टोंक में प्रार्थीयां के गांव का नाम विजयनगर के स्थान पर विजयगढ अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बिणजारी के ख0न0 1085 रकबा 4.69 है0 कजोडी पत्नी जगदीशलाल 1/6 हि0 जाति मीना निवासी विजयनगर खातेदारी भूमि शामलाती दर्ज रिकार्ड है व ख0न0 1085/1161 रकबा 0.71 है0 मुताबिक कजोडी पत्नी जगदीशलाल 1/6 हि0 जाति मीना निवासी विजयनगर खातेदारी भूमि शामलाती दर्ज रिकार्ड है । उक्त भूमि प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के कय की गई है। रजिस्टर्ड विकय पत्र मे केत्री (प्रार्थीया) के गांव का नाम

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

विजयगढ पोस्ट रानीपुरा अंकित है, परन्तु नामान्तरकरण दायर समय प्रार्थीया के ग्राम का नाम सहवन से विजयगढ के स्थान पर विजयनगर दर्ज हो जाने से पटवारी हल्का बिलासपुर द्वारा ग्राम बिणजारी के ख0न0 1085/4.69, 1085/1161/0.71 मे प्रार्थीया के ग्राम का नाम विजयगढ सही करने की अभिशंषा की गई है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 163 ख0न0 1085 रकबा 4.69, ख0न0 1085/1161 रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील उनियारा में कजोडी पत्नी जगदीशलाल हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 विजयनगर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे केत्री (प्रार्थीया) के गांव का नाम विजयगढ पोस्ट रानीपुरा अंकित है, परन्तु नामान्तरकरण दायर करते समय प्रार्थीया के ग्राम का नाम सहवन से विजयगढ के स्थान पर विजयनगर दर्ज किया गया है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब मे माना है कि पटवारी हल्का से रजिस्ट्री का नामान्तरकरण करते समय भूल से प्रार्थीया के गांव का नाम विजयगढ के स्थान पर विजयनगर अंकित किया गया है। प्रार्थीया के गांव का नाम विजयनगर के स्थान पर विजयगढ करने की अभिशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 163 ख0न0 1085 रकबा 4.69, ख0न0 1085/1161 रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील उनियारा में कजोडी पत्नी जगदीशलाल हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 ग्राम विजयनगर के स्थान पर प्रार्थीया के ग्राम का नाम सा0 विजयगढ दर्ज कर राजसव रेकार्ड को दुरूस्त करे। यदि वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित वित्तिय संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री इन्नी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा